न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 17/2023

यूको बैंक शाखा दौसा जिला दौसा राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी अरूण शर्मा

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री नन्द किशोर वर्मा पुत्र श्री भेरू लाल वर्मा
2. श्री सनी सकरवाल पुत्र श्री नन्द किशोर वर्मा

पताः–ए.वी.एम. स्कूल के सामने, पूनम टॉकिज के पीछे, दौसा जिला दौसा राज.

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 ऋणी/जमानती से बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेन्टस का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के सम्बन्ध में।

उपस्थित : श्रीमती अंजुम, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 12.04.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी यूको बैंक शाखा दौसा जिला दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 20,00,000/– (रूपये बीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:51:47 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर 2 पर

प्रार्थना पत्र सं0 17/2023

अधिवक्ता प्रार्थी यूको बैंक शाखा दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी यूको बैंक शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी यूको बैंक शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी व जमानतदारों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री नन्द किशोर वर्मा पुत्र श्री भैरू लाल वर्मा के नाम मकान नं. 1/के का 1/2 पूर्वी भाग की तरफ का भाग, ए.वी.एम. स्कूल के सामने, पूनम टॉकिज के पीछे, दौसा जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी यूको बैंक शाखा दौसा यूको बैंक शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:51:47 IST
Reason: SelfAttested